



# दिल्ली विकास प्राधिकरण



## सार्वजनिक सूचना

### भूकम्पों से बिल्डिंग्स की सुरक्षा हेतु

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की दिनांक 20.04.2019 की अधिसूचना तथा दिनांक 10.02.2020 के प्रावधानों के आधार पर दिल्ली की आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि डीडीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग्स के लिए :

1. ऐसी सभी हाई राइज बिल्डिंग्स (15 मीटर या ज्यादा), जिनको दिनांक 21.03.2001 से पहले मंजूरी दी गई थी, के स्वामी (स्वामियों) / अधिवासी (अधिवासियों) द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) छह महीने के अंदर करवाया जाना अनिवार्य है।
2. ऐसी बिल्डिंग्स, जिनको दिनांक 21.03.2001 से पहले मंजूरी दी गई थी तथा जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से कम है, के स्वामी (स्वामियों) / अधिवासी (अधिवासियों) को भी अपनी सुरक्षा के लिए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) करवाने की सलाह दी जाती है।
3. अधिक विवरण के लिए डीडीए की वेबसाइट : [www.dda.org.in/hotlinks](http://www.dda.org.in/hotlinks) देखें।

निदेशक (भवन) डीडीए

कृपया  Google play के दि.वि.प्रा. एप पर अपना फीडबैक प्रदान करें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) को देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।